रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक / परीक्षा / 2021 / 1072 — जबलपुर दिनांक -05/10/2021

प्रेषक :-

कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय स्वशासी एवं अशासकीय स्वशासी
महाविद्यालय, जबलपुर

विषय - सत्र 2020-21 में समस्त शासकीय स्वशासी एवं अशासकीय स्वशासी महाविद्यालयों के कुछ विद्यार्थियों द्वारा नामांकन नहीं कराये जाने पर स्पष्टीकरण ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय अध्यादेश 08 (Section 37) की कंडिका 02 के तहत् छात्र का प्रवेश नियमित तभी मान्य होता है, जब विश्वविद्यालय के निर्धारित समय सीमा में छात्र द्वारा नामांकन किया गया हो । निर्धारित समय सीमा में नामांकन नहीं करने पर विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः समाप्त हो जाता है ।

सामान्यतः देखा गया है कि शासकीय स्वशासी एवं अशासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा नामांकन के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय भेजकर दवाब बनाया जाता है । जोकि नियमानुसार गलत है ।

अतः संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें, कि समय सीमा में सभी प्रवेशित छात्रों के नामांकन हो । नामांकन नहीं करने पर उन छात्रों के प्रवेश निरस्त माना जाएगा । जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं छात्र की होगी ।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
जबलपुर दिनांक

पृ0 क्रमांक / परीक्षा / 2021 / 1072 "अ"

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उ.शि.वि., जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
2. परीक्षा नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
3. कुलपति जी / कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर